

कार्यालय ग्राम पंचायत-

गिरिसा स्कूल

जनपद-

ग्राम

सिनियर

साठी

ठाठी

दिनांक १५/०६/२३

प्राप्ति

विषय:- जल जीवन मिशन (इर घर घर पाल) के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल हेतु पानी की टंकी के निर्माण, संचालन व अनुरक्षण के सम्बन्ध में।

मालिक

अवगत कराना है कि दिनांक १५/०६/२३ को प्रातः 10:00 बजे से पंचायत भवन पारिसार में ग्राम पंचायत में नियास करने वाले प्रत्येक परिवारों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु खुली बैठक की गयी। बैठक ने ग्राम पंचायत के सभी वार्ड सदस्य, लेखपाल, पार्श्वगिक / जूँहाईस्कूल के प्रधानाचार्य, अध्यापक, शिक्षामित्र, औंगनवाडी कायंकड़ी / गोदायिका, कोटंदार, ए०एन०एम० एवं आशा द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उक्त बैठक में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं हेतु दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत में नियास करने वाले प्रत्येक परिवारों से परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान किए जाने तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निर्धारित यूजर चार्ज जमा किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। ग्राम पंचायत के लगभग प्रतिशत परिवारों द्वारा निर्धारित लागत अंशदान एवं यूजर चार्ज जमा करने की सहमति दी गयी है। परिनार के गुणिया द्वारा दी गयी सहमति पन्न संलग्न है।

जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजना के कियान्नयन तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सहमत है।

अतः अनुसंध है कि कृपया स्थानीय ग्राम पंचायत में पाइप पेयजल योजना का निर्माण कराने हेतु आवश्यक कारोबारी कराने का काट करें।

संलग्नक: परिवारों द्वारा हस्ताक्षरित राजनीति पत्र।

भवदीय,

M.P. Singh
Sushma (Director)
Sushma Foundation
Varanasi (U.P.)

ग्राम प्रधान

प्रभान्न
ग्राम पंचायत नियास योजना के मुख्य संचालक
संघ-जिल्हा प्रभान्न, गोदायिका नगर
गोदायिका, उत्तर प्रदेश



ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संरक्षणी उन सभी नियमितीयों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय में "जीवन सुगमता" को बेहतर बनाने में मदद करती है। (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ पश्चोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी है और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी है। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है।)

1. तैयारी की तारीख: 15-06-23

ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख: 24-07-23

डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख:

2. ग्राम का नाम:

ग्राम पंचायत का नाम:

बस्टॉक का नाम:

ज़िला का नाम:

राज्य का नाम:

ग्राम जनगणना कोड:

(यदि लागू हो तो, वस्तियों की संख्या और उनके नाम)

I. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा : (संख्या) मवेशी कुंडों को और (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात घन्टे निर्धारित गुणवत्ता + वाले..... एल.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष तक ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना

हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनात्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदृष्टि नहीं करेंगे। हम अपने गंदते जल की व्यवस्था करेंगे और अपने भीठ पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूँजी लागत का ____%, प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिगणित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

* पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पर पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

II. ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ पश्चोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गांव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी?

(ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति): पूर्व भूत २०१५ समिति

समिति को क्या कहा जाता है:

आध्यक्ष का नाम: २०१५ समिति

स्थिति:

आयु:

पूर्व भूत २०१५ समिति
ग्राम पंचायत, नालंदा, बिहार
कैलाली गांव, नालंदा, बिहार

P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Janasi(U.P)

III. सामाजिक विवरण

6.

वर्तमान संस्कृति:	प्रायः अनुग्रहीत
वर्तमान जनसंख्या:	प्रायः ५०००
वर्तमान जननुसंधान:	प्रायः १०००
वर्तमान जननुसंधान:	प्रायः १०००

7. जनसंख्या अनुग्रह:

भाष्यवती चरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): _____ किलोतीटर/दिन (के.एल.डी.) और अंतिम चरण
वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): _____ किलोतीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान मवेशी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): _____

9. कृषि फसल पैटर्न: _____

वर्तमान मवेशी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): _____
वर्तमान मवेशी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): _____
वर्तमान मवेशी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): _____

10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. में): १६० मि. १८० मि.11. स्थलाकृति (समतल, ढलान, आटि): समतल

IV. स्थिति विवरण

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? (हाँ / नहीं)
(‘ज्ञाम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संस्करण करें)

हाँ

13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हाँ / नहीं)
(‘ज्ञाम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संस्करण करें)

हाँ

1. जनसंख्या	प्रायः ५०००	प्रायः ५०००	प्रायः ५०००	प्रायः ५०००
2. अनुग्रहीत	प्रायः ५०००	प्रायः ५०००	प्रायः ५०००	प्रायः ५०००
3. वर्तमान जनसंख्या	प्रायः ५०००	प्रायः ५०००	प्रायः ५०००	प्रायः ५०००
4. वर्तमान जननुसंधान	प्रायः ५०००	प्रायः ५०००	प्रायः ५०००	प्रायः ५०००

पानी की कुल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 111.11 के.एल.डी.

मवेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: 23.11 के.एल.डी.

मवेशी कंडों की आवश्यक संख्या: 1

मध्यवर्ती घरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 125.11 के.एल.डी.

अंतिम घरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 75.11 के.एल.डी.

पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त सूखा/अकात/चकवात/धारा या किसी अन्य प्राकृतिक आपटा का पैटर्न,

पानी की उपलब्धता की समान्य प्रवृत्ति: दृढ़

17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टकिया, रेल गाड़ियों आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति: नहीं

18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आशिक कार्य, शौत वा गजबूत करने का इतिवृत्त नहीं

19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त: मलेरिया, फैला, ४५२१ आदि

पानी की गुणवत्ता

20. फिल्ड परीक्षण किट / वायरल का उपयोग करके समुद्राय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीख: _____

21. सैनिट्री निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख: _____

22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/ प्रस्तावित पेयजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत का नाम (अवस्थिति): _____

कपड़े धोने / स्नान करने का स्थान

23. यह संभावना है कि गाँव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/ या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/ स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं: _____

स्रोत स्थावित्व

24. भू-जल योत के मामले में, क्या बोरवेल रिचार्ज संरचना है? (है/नहीं)

25. गाँव में उन मौजूदा जल भंडारों की सूची जिनका कर्याकल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है:

गंदला जल का प्रबंधन

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): 52.12 के.एल.डी.

अलग-अलग सौख्या गड्ढों वाले परिवारों की संख्या: 50

उन परिवारों की संख्या जिन्हे सौख्या गड्ढों की आवश्यकता है: 40

आवश्यक सामुदायिक सौख्या गड्ढों की संख्या: 10

क्या अपरिषट तलछट तालाब की आवश्यकता है? (है/नहीं): है

यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है: आग्री बदूरी

यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के कौन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए?

V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस योजना के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:

- अंतिम छोर तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एनआर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की ऐट्रोफिटिंग
- पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की ऐट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
- निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल स्ट्रिंग वाटर/ स्थानीय या धरातली जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- वाटर यांत्रिकीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
- जिन्होंने सार ऊर्जा आपारित. पी.डब्ल्यू.एस. जो एकान्त्यादिवासी बस्तियों में स्थित है

28. अभिनिर्धारित जल स्रोत: 22.00 तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक भूल्यांकन के

आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: भारत जीपन प्रयोग

इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि: 115 पर्याप्त जल सिवाय भूमि

वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को संपर्क की जाएगी: 2024

योजना की लागत: 2.60 लाख भारत सरकार का हिस्सा: X राज्य का हिस्सा: X

समुदाय का हिस्सा: 10% व्यक्तिगत घरेलू असदान:

वार्षिक प्रयाप्ति व रख-खाल शुल्क: X व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क:

प्रयोक्ता शुल्क: पी.डब्ल्यू.एस.: _____ कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिर्धारित

प्रयोक्ता शुल्क: पी.डब्ल्यू.एस.: _____

VI. मेल-जोल

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/ निधि मेल-जोल संभव है। याम समुदाय द्वारा याम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

29.



प्रभावी विकास के लिए जल संरक्षण का उद्देश्य	जल संरक्षण विकास	जल संरक्षण का उद्देश्य	जल संरक्षण का उद्देश्य
एकीकृत बाटरेड फैसला योजना (आर.डब्ल्यू.एस.पी.)	जल संरक्षण विकास	बाटरेड फैसला आर.डब्ल्यू.एस. कृषि संरक्षण, जल निकासी का नियोग देख आदि।	जल संरक्षण का उद्देश्य
जल भंडारी की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार	जल संरक्षण, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल भंडारों का जीर्णोद्धार	जल संरक्षण का उद्देश्य
सम्प्रदीय कृषि विकास योजना (जल के लिए वड़े)	कृषि सहकारिता और विभाजन कल्याण	बाटरेड से संबंधित कार्य	जल की उचित उपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सहम-संस्थाई का प्रावधान, एकीफूस से जल की निकासी को नह करने के लिए
प्रधानमंत्री कृषि सिंचान योजना (पी.एम.के.एस.वड़े)	कृषि सहकारिता और विभाजन कल्याण मंत्रालय	विभिन्न, जल और उद्यमिता मंत्रालय मंत्रालय	विभिन्न, जल और उद्यमिता मंत्रालय तथा का प्रावधान, जीर्णोद्धार विकास, आदि।
क्षेत्रिक विकास कोष प्रबोध और उत्पादन प्राप्तिकरण	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि	जल संरक्षण का उद्देश्य
सम्प्रदीय विकास	मनव उत्पादन विभाजन मंत्रालय	मनवी से वैज्ञानिक अनुदृष्टि का प्रावधान	जल संरक्षण का उद्देश्य
आकांक्षी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण नीतिविधियाँ	जल संरक्षण का उद्देश्य
जिला लोनेज विकास नीति (टी.एस.ए.डी.)	उपलब्ध	मनव वैज्ञानिक उत्पादन उत्तराधिकार	जल संरक्षण का उद्देश्य
एम.पी.एल.ए.डी.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)	अंतर्याम उवसंरचना	जल संरक्षण का उद्देश्य
उप उपलब्ध संसाधनों संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुद्योग जनजीवीय उप योजना (टी.एस.एस.)	उपलब्ध	अंतर्याम उवसंरचना	अंतर्याम उवसंरचना
दलभागीयोंका			



प्रभावी जल संग्रह	सूखे का संकरण विभाग	जलाधिक जलविभाग	जल संग्रह
एकीकृत बाटरेल प्रशासन कार्यक्रम (आर.डब्ल्यू.एस.एस.)	सूखे का संकरण विभाग	बाटरेल प्रबोधन/आर.डब्ल्यू.एस./ भूदिस प्रशासन, जल निकायों का नियंत्रण द्वारा आयोग	
जल भंडारी की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल भंडारी का जीर्णोद्धार	
सान्द्रीय वाति विकास बोर्ड (जार.के.टी.डी.)	कृषि, सहकारिता और विभाग कल्याण	बाटरेल से संबंधित कार्य	
प्रधानमंत्री कृषि सिर्फ़ योजना (पी.एम.के.एस.वड.)	कृषि, सहकारिता और विभाग कल्याण मंत्रालय	जल की उचिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूखम-सिर्फ़ का प्रावधान, एकत्रिक से जल की निकायी को रख करने के लिए	
क्षेत्रिक वर्गीकरण कोष प्रबोधन और उपयोगकारी प्रशिक्षण	प्रसारण, इस और उद्यमिता मंत्रालय	प्रधानमंत्री, इन विभिन्न विभागों तइ का प्रबोधन, बोर्डों विकास, आदि	
प्रधानमंत्री कैशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वड.)	कैशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कैशल विकास, प्रशिक्षण आदि	
समय विभाग	साधारण संसाधन विकास मंत्रालय	संसाधनों के प्रबोधन आयोग का प्रबोधन	
आकांक्षी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण नियिकायों	
जिला अनुनय विकास विभाग (टी.एस.एस.)	उपर्युक्त	वह विभाग जिस जल संरक्षण नियिकायों	
एम.पी.एल.ए.डी.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)	अंतर्याम उद्योगसंघना	
उपर्युक्त उपर्युक्त जी	उपर्युक्त	अंतर्याम उद्योगसंघना	
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजदीय उप योजना (टी.एस.एस.)	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतर्याम उद्योगसंघना	
दूसरा शासकीय विभाग			

अध्यक्ष का इस्तमार:

पोष्टर्ड हो, आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर:

आई.एम.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि जाप हो) _____

संघर्ष क्रियाएँ

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् बी.डब्ल्यू.एस.सी.पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्ष पंचायत संघित का नाम और फोन नंबर:

जमीनी तकलीशियन का नाम और फोन नंबर:

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1. छापा = ९११५३३४२४७

2. निराम देवी = ८०८९५४१५३९

3. ल-कना देवी = ८१३०४६८९३०

4. दिल देवी = ७९८२४७५१५९

5. लाल देवी = ८१२३०२५४७१८

उप-अधिकारी का नाम और फोन नंबर

ग्राम पंचायत अधिकारी
सुश्मा फाउंडेशन
लोखन-सालाह, विला-गाडीपुर

M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi(U.P.)

ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत...
ठिठ दांड-सालाह, गाजीपुर